रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-3004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1279] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2006/कार्तिक 3, 1928
No. 1279] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2006/KARTIKA 3, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1818(अ).— पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 17 की उपधारा (1), उप धारा (1 क) और उप धारा (2) द्वारा अपेक्षित रूप में, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 42 (अ) तारीख 10 जनवरी, 2006 के अधीन, ऐसे व्यक्तियों से जिनसे उनके प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जब उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी; तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र जनता को 10 जनवरी, 2006 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों / सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 17 की उपधारा (1), उपधारा (1 क) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1 (1) इन नियमों का नाम पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) संशोधन नियम, 2006 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2 पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, नामश: -

'(ड.) **"प्रयोग" से जैविक, शरीर क्रिया विज्ञान, मानव जातीय, भौतिक या रासायनिक प्रकृति के ज्ञान के अर्जन के लिए पशु के उपयोग से अंतर्वलित कोई कार्यक्रम अथवा परियोजना अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत प्रतिजन और रोग प्रतिकारक जैसे अभिकर्मकों के उत्पादन, नैत्य नैदानिक, परीक्षण क्रियाकलाप और ट्रांसजैनिक भंडारों की स्थापना में पशु का उपयोग भी है जो जीवन की सुरक्षा अथवा उसे दीर्घ बनाने के लिए या यातनान्यून करने या देश के लोगों की बेहतरी के मामले में पर्याप्त सफलता हासिल करने या मनुष्यों या पशुओं को लगने वाले किसी रोग की रोकथाम के लिए उपयोगी है ;'**

3 उक्त नियमों के नियम 9 में -

(i) खण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ख ख) जातिनृत्तीय स्तर पर निम्नतम पशु जो किसी प्रयोगात्मक प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिक रुप से वैध परिणाम दे सकें, पर पहले विचार किया जाना चाहिए और प्रयोग को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए जिससे कि कम से कम पशुओं का उपयोग करते हुए सांख्यिकीय रुप से 95% तक विश्वसनीय वैध परिणाम प्राप्त हों :

परन्तु यह कि पशुओं के परीक्षण से रहित प्रतिस्थानक विकल्पों पर सम्यक रुप से विचार किया जाना चाहिए और इस तरह के विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें उपयोग में न लाए जाने के ठोस कारण दिए जाने चाहिएं ;" ;

(ii) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"ग ग (i) प्रयोगात्मक पशुओं का उपयोग करने वाले कार्मिक, पशुओं पर प्रयोगों के दौरान *उनके कल्याण के लिए उत्तरदायी होंगे;*

(ii) प्रयोग के पश्चात् पशु की देखभाल और पुनर्वास के लिए अन्वेषणकर्ता *जिम्मेवार होगा,* खण्ड (च च) में परिभाषित स्थिति के सिवाय पशु को सुखमृत्यु नहीं देगा;

(iii) प्रयोग के पश्चात् पशु की देखभाल और पुनर्वास की लागत को अनुसंधान लागत का भाग बनाया जाएगा और इसे पशुओं की देखभाल और पुनर्वास में शामिल लागत के स्तर के सकारात्मक सहसंबंध से मापा जाएगा;

(iv) प्रयोग प्रक्रिया के पश्चात पशुओं के पुनर्वास का कार्य उनके सामान्य जीवन-यापन लायक बनने तक जारी रखा जाएगा तथा ऐसे पशु के सांख्यिकी दृष्टि से प्रत्याशित समूचे जीवन काल तक उसके पुनर्वास व उसकी देखभाल पर खर्च होने वाली राशि के तौर पर एकमुश्त राशि दी जाएगी ; और

(v) **प्रयोग करने वाला स्थापन अथवा समिति के नियंत्रणाधीन यथोचित लाइसेंस प्राप्त और प्राधिकृत पशु कल्याण संगठन, एकमुश्त राशि के भुगतान पर, पशुओं के पुनर्वास का कार्य कर सकेगा;"**

3. खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(च च) सुखमृत्यु के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगा, अर्थात् :-

(i) **जब पशु पक्षाघातग्रस्त हो और अपने नैसर्गिक कार्य करने में सक्षम न हो अथवा यह स्वतंत्र गमन में अक्षम हो जाए अथवा बोधगम्य रीति से पर्यावरण को महसूस न कर सकता हो; या**

(ii) **यदि प्रयोगात्मक प्रक्रिया के पश्चात् पशु को बार-बार दर्द होता है जिसमें पशु दर्द और पीड़ा के स्पष्ट संकेत देता हो; या**

(iii) **प्रयोगात्मक पशु को न मारा जाना मनुष्यों अथवा अन्य पशुओं के जीवन के लिए खतरनाक हो; "**

4 उक्त नियमों के नियम 10 में:-

(1) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) (i) कोई स्थापन पंजीकृत प्रजनक से ही प्रयोग के लिए पशु प्राप्त करेगा ;

(ii) पंजीकृत प्रजनक से पशु की अनुपलब्धता न होने की दशा में, वैकल्पिक वैध स्रोत से पशु प्राप्त किया जा सकता है;

(iii) वैकल्पिक वैध स्रोत से पशु प्राप्त करने की दशा में, तत्समय प्रवृत विधि के अधीन सक्षम प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेने के पश्चात् ही प्राप्त किया जा सकता है; और

(iv) ऐसे पशु प्राप्त करने वाले स्थापन इस संबंध में एक अभिलेख रखेगा और जब कभी अपेक्षित हो, तो इसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ;";

(2) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) यदि किसी पंजीकृत प्रजनक से या देश में किसी अनुकल्पी वैध स्रोत से कोई पशु उपलब्ध नहीं है तो आनुवांशिकत: परिभाषित पशुओं का महानिदेशक, विदेश व्यापार की अनुज्ञा से आयात किया जा सकेगा;

परंतु देश के भीतर अनुपलब्धता की शर्त प्रयोगशाला प्रजनित चूहों और आनुवांशिक रुप से परिभाषित वंश से संबंधित चूहों पर लागू नहीं होगी ;" .

5 उक्त नियम के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

IndiaCode

"12 संविदा पशु प्रयोग :- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) और इसके अधीन बनाए गए नियमों का पंजीकृत स्थापन किसी अन्य अभिकरण की ओर से संविदा अनुसंधान कर सकते हैं; ".

6 उक्त नियमों के नियम 14 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) यदि समिति , सदस्य सचिव या समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट (किसी निरीक्षण या प्राप्त सूचना अथवा अन्यथा आधार पर उसे प्रस्तुत) से संतुष्ट है कि :-

(i) इसके द्वारा बनाए गए नियमों का किसी स्थापन या प्रजनक द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या

(ii) किसी स्थापन या प्रजनक द्वारा समिति के निर्देशों का उल्लंघन किया गया हो और ऐसे उल्लंघनों को ठीक करने के लिए समिति के निर्देशों का अनुपालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया हो

तो समिति लिखित आदेश द्वारा स्थापन या प्रजनक के पंजीकरण को निलम्बित या रद्द कर सकेगी और/या आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पशु गृह सुविधा को बंद करने के निदेश दे सकेगी :

परन्तु स्थापन या प्रजनक को इस संबंध में सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस खण्ड के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह कि गौण उल्लंघन की दशा में पंजीकरण के निलम्बन या रद्द करने, या पशु घर सुविधा को बंद करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ "गौण उल्लंघन " से लोप का कार्य या लोप अभिप्रेत है जिसका पशु के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है और जिसके परिणाम स्वरुप किसी पशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता या उसे दर्द या पीड़ा या उसकी मृत्यु नहीं होती है ।"

[फा. सं. 25/04/2005-ए डब्ल्यू डी]

सौम्या टी. दवे, सदस्य-सचिव,

(पशुओं पर प्रयोगों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति)

टिप्पणी :— मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, में का. आ. संख्या 1074 तारीख 15 दिसम्बर, 1998 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्या का.आ. 134 (अ) तारीख 15 फरवरी, 2001 के अधीन संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2006

S.O. 1818 (E).— Whereas certain draft rules to amend the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998 were published, as required by sub-sections(1), (1A) and (2) of section 17 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.42(E) dated 10th January, 2006 inviting suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 10th January, 2006;

And whereas the objections/suggestion received in respect of the said draft rules, have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), (1A) and (2) of Section 17 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Committee for the purpose of control and supervision of experiments on animals hereby makes the following rules to amend the Breeding of and Experiments on Animals (Control & Supervision) Rules, 1998, namely:-

1. (1) These rules may be called the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

3399 GI/06-2

IndiaCode

2. In the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1998 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

'(e) **"Experiment" means any programme or project involving use of animal(s) for the acquisition of knowledge of a biological, physiological, ethological, physical or chemical nature; and includes the use of animal(s) in the production of reagents and products such as antigens and antibodies, routine diagnostics, testing activity and establishment of transgenic stocks, for the purpose of saving or prolonging life or alleviating suffering or significant gains in well being for people of the country or for combating any disease whether of human beings or animals;'**

3. In rule 9 of the said rules, -

(1) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(bb) **animals lowest on the phylogenetic scale which may give scientifically valid results should be first considered for any experimental procedure and the experiment should be designed using minimum number of animals to give statistically valid results at 95% degree of confidence:**

Provided that replacement alternatives not involving experiments on animals should be given due and full consideration and sound justification must be provided in case alternatives, though available, are not used;" ;

(2) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:

"(cc) **(i) personnel using experimental animal(s) shall be responsible for the welfare of animal(s) during their use in experiments;**

(ii) investigators shall be responsible for the aftercare and rehabilitation of animal(s) after experimentation, and shall not euthanise animal(s) except in situations as defined in clause (ff);

(iii) costs of aftercare and rehabilitation of animal(s) after experimentation shall be made part of research costs and shall be scaled in positive correlation with the level of costs involved in such aftercare and rehabilitation of the animal(s);

(iv) rehabilitation treatment of an animal after experimentation shall extend till the point the animal is able to resume a normal existence by providing a lump-sum amount as costs for rehabilitation and care of such animal to cover its entire statistical expected life span; and

(v) the establishment undertaking experiments or duly licensed and authorised animal welfare organization under the control of the Committee may, on payment of lump-sum amount, undertake rehabilitation of animals;";

(3) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ff) **the following parameters shall be adopted for application of euthanasia, namely:-**

(I) when the animal is paralyzed and is not able to perform its natural functions or it becomes incapable of independent locomotion or it can no longer perceive the environment in an intelligible manner; or

(ii) if during the course of experimental procedure the animal has been left with a recurring pain wherein the animal exhibits obvious signs of pain and suffering; or

(iii) where the non-termination of the life of the experimental animal will be life threatening to human beings or other animals;".

4. In rule 10 of the said rules, -

(1) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) **(i) an establishment shall acquire animal(s) for experiments from registered breeders only;**

(ii) in case of non-availability of animal(s) from registered breeders, the animal(s) may be procured from alternate legal sources;

(iii) in case the animal is procured from the alternate legal sources, the same shall be procured after taking written permission from the authority competent under the law for the time being in force, to give such permission; and

(iv) the establishment procuring such animal shall maintain a record in this regard and shall produce the same before the Committee, whenever required;" ;

(2) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) In case an animal is not available from a registered breeder or from alternate legal sources within the country, genetically defined animals may be imported with permission of Directorate General of Foreign Trade:
Provided that the condition of non-availability within the country shall not apply for laboratory bred rats and mice of genetically defined strains;".

5. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"12. Contract animal experiments. - Registered establishments may undertake contract research on behalf of any other agency in accordance with the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) and the rules made thereunder.".

6. In rule 14 of the said rules, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The Committee, if it is satisfied with the report of the Member-Secretary or the authorized officer of the Committee (made to it as a result of any inspection or information received or otherwise) that -

(i) the rules made by it are not being complied with by an establishment or breeder; or

(ii) a violation of the directions of the Committee has been committed by any establishment or breeder and the Committee's directions to rectify such violation have not been complied within the period so specified,

the Committee may, by order in writing, suspend or revoke the registration of the establishment or breeder and/or direct closure of the animal house facility for such a period as may be specified in the order:

Provided that no order under this clause shall be made without giving the establishment or breeder any opportunity of being heard in the matter:

Provided further that no order for suspension or revocation of registration, or closure of animal house facility shall be issued in a case of minor violation.

Explanation:- for the purposes of this clause, "minor violation" means an act of commission or omission which does not have direct bearing on the health of an animal which may not lead to adverse health effect or pain or suffering or death of an animal.".

IndiaCode

[F. No. 25/04/2005-AWD]

SOMYA T. DAVE, Member-Secy.

(Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals)

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 1074 dated 15th December, 1998 and subsequently amended vide number S.O.134(E) dated 15th February, 2001.

3399
GI/06-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.